बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 – 28/14–15

1. परिचयात्मक :–

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	बिहार राज्य सूचना आयोग, पटना
(ख)	अंकेक्षण का लेखावधि –	वर्ष 2010–11 से 2011–12 तक
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम तथा कार्यकाल–	श्री विरेन्द्र बहादुर पाण्डेय, सचिव। 1.4.10 से 31.3.12 तक
(ङ)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम पदनाम एवं कार्यकाल :–	(i) श्री रमेश नन्दन सहाय, अवर सचिव दि0–1.4.10 से 02.08.2010 तक (ii) डा0 श्री सुगन्ध चतुर्वेदी, उप सचिव दि0--2.8.10 से अद्यतन। (iii) श्री कामता पंडित, रोकड़ पाल 1.4.10 से 31.7.11 (iv) श्री ऋषभ सहाय, रोकड़ पाल दि0–1.8.11 से अद्यतन (v) श्री कृष्ण कुमार सिन्हा, प्र0पदा0 दि0–11.8.10 से अद्यतन (vi) श्री कुमार विमल मुख दि0– 8.4.11 से अद्यतन

(च)	अंकक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0 / कर्मचारी का नाम, पदनाम :–	श्री ऋषभ सहाय, रोकड़ पाल
(छ)	अंकेक्षकों के नाम –	(1) श्री विजय कान्त झा, व0अं0–2 (2) श्री शम्भू नाथ पाण्डे, व0अं0–2
(ज)	अंकेक्षण प्ररंभण तिथि –	6.1.14 एवं 7.3.14
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति तिथि –	29.5.14
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस–	20 दिन
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत/अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) **<u>अंकेक्षण का क्षेत्र</u>** :–

(i) अंकेक्षण का प्रकार :– सामान्य

(ii) वित्त (अं0) विभाग का आदेश सं0 एवं तिथि :– 234 दि0 12.3.13 एवं 3286 दि0 – 15. 9.60

(iii) कार्यालय का कार्य क्षेत्र :– सूचना से सम्बन्धित द्वितीय अपील की सुनवाई।

(iv) वित्तीय स्त्रोत :– आवंटन

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :–

(क) शत् प्रतिशत सत्यापन किया गया :– शत् प्रतिशत् सत्यापन किया गया।

(ख) आंशिक सत्यापन किया गया – x

(ग) सत्यापन नहीं किया गया – x

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :-

AG-GS-41/12-13 प्राप्ति 13.3.13 – अनुपालन प्रेषित है।

(vii) वित्त (अं0) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :-

अं0 प्र0 (वित्त) 60/11-12 की प्राप्ति दि0 5.2.13 को किन्तु अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण समाप्ति तक प्रेषित नहीं था।

(3) <u>वित्तीय समीक्षा :-</u>

(i) आवंटन की स्थिति में :- क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गई है।- नहीं

(ii) अनुदान की स्थिति में : – X

(iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था। – X

(iv) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति :- भौतिक सत्यापन कराया गया।

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 6.1.14 को संवरण शेष रू0 300000/- था जो निम्न प्रकार पाया गया :-

(क) नकद राशि – 8121.00

(ख) वैंक खाता में कुल राशि – 52,554.00

(भारतीय स्टेट वैंक बेली रोड पटना खाता सं0-11111135771)

(ग) अ समायोजित अभिश्रव – <u>239325.00</u>

कुल – 300000.00

(v) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :–

रोकड़ पुस्त के अनुसार अंकेक्षित वर्षो में प्रारम्भण एवं संवरण रोकड़ शेष शून्य थी।

4. स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरण :–

अंकेक्षित वर्षो से सम्बन्धित विवरण परिशिष्ट 'ग' पर उल्लिखित है। स्वीकृत पदो के अनुसार ही कार्यरत पाया गया।

भाग – 2

(5) रू0 343/– आकस्मिकता मद में अधिक भुगतान राशि वसूली योग्य।

विस्तृत आकस्मिक वि0 सं0 73/10–11 से सम्बन्धित अभिश्रवों की जॉच में पाया गया कि उपाभिश्रव सं0 29 दि0 7.7.10 के द्वारा मे0 कृष्णा इन्टर प्राइजेज पुनाईचक पटना को 1.5.10 से 31.5.10 तक पत्रों को कुरियर द्वारा भेजने मद में रू0 29650/–दि0 7.7.10 को भुगतान किया गया था। सम्बन्धित कुरियर विपत्र के योग की वास्तविक राशि रू0 29307.00 था, किन्तु योग अशुद्धि के कारण विपत्र में अंकित राशि रू0 29650/–की राशि पारित कर भुगतान किया गया था। इस प्रकार कुरियर विपत्र की वास्तविक राशि रू0 29307.00 के स्थान पर रू0 29650/– अर्थात् रू0 343.00 अधिक भुगतान किया पाया गया। इस सम्बंध में निर्गत अं0 आपत्ति के अनुपालन में उक्त रूपयें 343.00 की वसूली कर लेने का आश्वासन दिया गया। अतः रू0 343.00 की वसूली कर कोषागार में जमा कर वित्त (अं0) विभाग को सूचित किया जाय।

(6) रू0 300/– जीवन यापन भत्ता मद में अधिक भुगतान राशि वसूली योग्य :–

वेतन भुगतान पंजी की जॉच में पाया गया कि श्री भुवनेश्वर राम श्री कृष्ण भूषण कुमार एवं श्री विरेन्द्र चौधरी सभी नि0 व0 लि0 को माह जनवरी 11 से मूल वेतन का 51% महगाई भत्ता अनुमान्य होने के फलस्वरूप वर्द्धित महगाई भत्ता की दर 6 प्रतिशत के आधार पर उनके मूल वेतन रू0 8720/– पर अनुमान्य महगाई भत्ता की वकाया राशि

रू0 523/– प्रतिमाह के स्थान पर रू0 548/–प्र0 माह की दर से अर्थात् रू0 25/–प्र0 माह की दर से माह जनवरी 11 से मार्च 11 तक का वकाया विपत्र सं0 35/11–12 द्वारा दि0 20.5.11 को एवं एक माह अप्रैल 11 का बकाया वि0 सं0 22/11–12 दि0–29.4.11 को भुगतान किया गया था। इस प्रकार रू0 25.00X4 माह रू0 100.00 प्रत्येक की दर से उक्त तीनो कर्मचारियों को 100X3=300.00 अधिक भुगतान किया गया था। इस संबंध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में उक्त राशि की वसूली कर लेने का आश्वासन दिया गया।

अतः उक्त रू0 300/– महगाई भत्ता मद में अधिक भुगतान राशि सम्बन्धित व्यक्तियों से वसूल कर कोषागार में जमा किया जाय तथा वित्त (अं0) विभाग को इसकी सूचना दिया जाय।

(7) एल0 टी0 सी0 एवं सामान्य यात्रा मद में रू0 10,51,345/–की व्यय आपत्ति अन्तर्गत।

अवकाश रिआयती यात्रा एवं सामान्य यात्रा से सम्बन्धित यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रतियों की जॉच में पाया गया कि श्री अशोक कुमार चौधरी मु0 सू0 आयुक्त श्री पी0 एन0 नारायणन सू0 आ0 एवं श्री वि0 वि0 पाण्डे सचिव द्वारा वायुयान से की गई यात्राओं के लिए किराया प्रतिपूर्ति की दावा का भुगतान किया गया था। सम्वन्धित यात्रा भत्ता विपत्रों में हवाई किराया की एलेक्ट्रोनिक टिकट मात्र का उल्लेख कर संलग्न किया गया था, जवकि वायुमान यात्रा की पुष्टि में वोर्डिग पास संलग्न रहना चाहिए था। इस प्रकार की गई यात्रा के प्रमाण में वोर्डिग पास के विना भुगतान वायुयान किराया प्रतिपूर्ति राशि का व्योरा परिशिष्ट 'घ' पर अंकित है। इस सम्बन्ध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में बताया गया कि जानकारी के अभाव में वोर्डिग पास का संधारण नहीं किया गया था। उल्लेखनीय है कि ई0 टिकटिंग पर यात्रा करने एवं वोडिग पास देने हेतु मुख्य सूचना आयुक्त के सेवा शर्तो से सम्बन्धित कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक 8 सू0 आ0 15–36/07–9747 दि0–27.9.07 के

परिपत्र एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं0 वी (2) 2894 दि0–17.3.10 में उल्लेख नहीं है।

अतः एल0 टी0 सी0 एवं सामान्य यात्रा भत्ता मद में विना वोर्डिंग पास के वायुयान किराया की प्रतिपूर्ति की अनुमान्यता की समीक्षा वित्त विभाग/प्रशासी विभाग द्वारा कर वस्तु स्थिति से वित्त (अं0) विभाग को अवगत कराया जाय, तवतक उक्त राशि रू0 1051345/–आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती है।

(8) अस्वीकृत पद पर कार्यरत संविदा कर्मियों को भुगतान पारिश्रमिक रू0 878697.00 आपत्तिअन्तर्गत।

आकस्मिक व्यय जॉच में पाया गया कि कार्यालय के लिए कम्प्यूटर ऑपरेटर की स्वीकृत 10 पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित कम्प्यूटर ऑपरेटर को संविदा पर कार्य करने के लिए कार्यालय व्यय मद से पारिश्रमिक के रूप में कुल रू0 878697.00 भुगतान किया गया था। विवरण निम्नाकित है।

क्र0	कम्प्यूटर ऑपरेटर का नाम	पारिश्रमिक की अवधि	पारिश्रमिक भुगतान राशि
1.	श्री मुकेश कुमार	मार्च 10 से फरवरी 11	81018.00
2.	,, अजीत सिन्हा	,, ,,	81018.00
3.	,, गौतम कुमार	जून 10 से जुलाई 10	7483.00
4.	नीलम कुमारी	,, ,,	7673.00
5.	,, रंजन कुमार सिन्हा	जुलाई 10 से फरवरी 11	55772.00
6.	,, शिव शंकर कुमार	,, ,,	55772.00

1.	,, गौतम कुमार	मार्च 11 से फरवरी 12	91788.00
2.	नीलम कुमारी	,, ,,	91788.00

3.	,, रंजन कुमार सिन्हा	,, ,,	91788.00
4.	,, शिव शंकर कुमार	,, ,,	91788.00
5.	,, राज किशोर पाठक	,, ,,	74516.00
6.	,, हरिरंजन कुमार नीरज	,, ,,	74269.00
7.	रीना राय	,, ,,	74024.00

कुल – 8,78,697.00

इस प्रकार स्पष्ट है कि अस्वीकृत पद पर कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदा) को नियुक्त कर पारिश्रमिक मद में रू0 8,78,697/–व्यय किया गया था जो अनियमित था। इस सम्बन्ध में निर्गत अंकेक्षण आपत्ति के अनुपालन में अतिरिक्त पद सृजित करने हेतु प्रशासी विभाग से अनुरोध करने का उल्लेख किया गया है।

अतः अस्वीकृत पद पर तथा समय प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किए विना उक्त संविदा कर्मियों के पारिश्रमिक मद में व्यय की गई राशि की समीक्षा प्रशासी विभाग द्वारा कर तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु ध्यान आकृष्ट किया जाता है। कृत कार्रवाई की सूचना वित्त (अं0) विभाग को दी जाय, तवतक उक्त व्यय की राशि रू0 878697.00 आपत्तिअन्तर्गत रखी जाती है। अन्यथा की स्थिति में पारिश्रमिक मद में भुगतान की गई राशि सम्वन्धित व्यक्ति दोषी व्यक्ति से वसूली योग्य होगी। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(9) यात्रा भत्ता विपत्र अप्रस्तुत रहने के कारण रू0 512791.00 की व्यय आपत्तिअन्तर्गत।

एल0 टी0 सी0 सहित सामान्य यात्रा भत्ता से सम्बन्धित विपत्रों की जॉच में पाया गया कि प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ड़' में उल्लिखित कुल रू0 512791.00 का यात्रा भत्ता विपत्र अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इसकी जॉच नहीं की जा सकी।

अतः सम्वन्धित यात्रा भत्ता विपत्रों की जॉच पड़ताल विभागीय स्तर पर करा कर परिणाम से वित्त (अं0) विभाग को सूचित किया जाय तबतक उक्त रू0 512791/– व्यय की राशि आपत्ति अन्तर्गत रखी जाती है।

भाग – 3 (सुझावात्मक)

(10) सूचना प्राप्त करने हेतु जमा शुल्क की राशि रोकड़ पुस्त में प्रविष्टि नहीं किया जाना।

सूचना अधिकार के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने/अपील करने के लिए आवेदक से प्राप्त शुल्क की राशि रोकड़ पंजी में अंकित नहीं की गई थी तथा सीधे कोषागार में जमा कर दिया गया था। बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 (iii) के अनुसार सभी मैद्रिक लेन–देन की प्रविष्टि रोकड़ पंजी के संबंधित पक्ष में (आय/व्यय पक्ष में) अंकित करना आवश्यक था।

अतः सुझाव है कि उक्त मद में प्राप्त राशि भी रोकड़ पंजी में निश्चित रूप में प्रविष्टि की जाय।

उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम –

1. मंजु कुमारी, व0अं0–2

परिशिष्ट – 'क'

1 (ट) से सम्बन्धित।

<u>प्रस्तुत अभिलेख</u> :–

1. विल वुक – वर्ष 10–11 एवं 11–12
2. कैश बुक – वर्ष 10–11 एवं 11–12
3. सी0 एन0 सी0 पंजी – विभिन्न इकाई का वर्ष 10–11 एवं 11–12
4. वेतन भुगतान पंजी वर्ष 10–11 एवं 11–12
5. निवंधन शुल्क से सम्बन्धित रसीद एवं रजिस्टर

<u>वर्ष 10–11 से 11–12</u>

6. यात्रा भत्ता विपत्रों की कार्यालय प्रति आंशिक वर्ष 10–11 एवं 11–12
7. (L.T.C) रियायती छुट्टी यात्रा का कार्यालय प्रति आंशिक वर्ष 10–11 एवं 11–12
8. सेवा पुस्त आंशिक
9. स्थायी एवं अस्थायी भंडार पुस्त 10–11 एवं 11–12

<u>अप्रस्तुत अभिलेख</u>

1. सेवा पुस्त आंशिक।
2. L.T.C एवं यात्रा भत्ता की कार्यालय प्रति आंशिक
3. मोटर गाड़ी का लौगबुक (1) वी0आर0आई0ए0ई0–0010

   (2) वी0आर0आई0ए0एफ0–4998

(3) वी0आर0आई0ए0एफ0—5483

(4) वी0आर0आई0ए0एफ0—4835

परिशिष्ट —'ख' कंडिका 3 (i) से सम्बन्धित।

आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष— 10—11

क्र0	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आंवटन	व्यय	बचत	अभ्युक्ति
1	0101 0107	वेतनादि	24105000/—	15680034/—	8424966/—	पत्रांक—1785
	06—01	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	200000/—	73856/—	126144/—	दि0—31.3.11 द्वारा प्रत्यार्पित
	11—01	यात्रा व्यय	1500000/—	1069234/—	430766/—	
	13—01	कार्यालय व्यय	3200000/—	3075056/—	124944/—	
	13—02	वाहन का इधन एवं रखाव	20,00000/—	540469/—	1459531/—	
	28—01	दुरभाष	400000/—	229446/—	170554/—	
	1304	विद्युत प्रभार	400000/—	68726/—	331274/—	
	1305	विधि प्रभार	600000/—	599700/—	300/—	
	1401	किराया महसूल	100000/—	शून्य	100000/—	
	1601	प्रकाशन एवं मुद्रण	500000/—	394005/—	105995/—	
	2001	अतिथ्य व्यय	300000/—	50490/—	249510/—	

	2002	कान्फ्रन्स कार्यशाला सेमिनार	600000/–	शून्य	600000/–	
	2601	विज्ञापन और प्रकाशन	शून्य	शून्य	शून्य	
	2801	व्यावसायिक और विशेष सेवाएँ	1736000/–	1154809/–	581191/–	
	5101	मोटर गाड़ी	शून्य	शून्य	शून्य	
	3101	सहायक अनुदान	700000/–	600000/–	100000/–	

आवंटन एवं विवरणी वर्ष –11–12

क्र0	शीर्ष	इकाई	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत	अभ्युक्ति
	0101 से 0107	वेतनादि	29242000/–	14915787/–	14326213/–	पत्रांक–5502 दि0 31.3.12 द्वारा प्रत्यार्पित
	0601	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	400000/–	125915/–	274085/–	
	1101	यात्रा व्यय	20,00000/–	98045/–	1019549/–	
	1301	कार्यालय व्यय	50,00000/–	4871721/–	128279/–	
	1302	वाहन का ईधन एवं रखाव	10,00000/–	589081/–	410919/–	

	2801	दुरभाष	400000/–	231762/–	168238/–	
	1304	विद्युत प्रभार	500000/–	84584/–	415416/–	
	1305	विधि प्रभार	400000/–	197505/–	202495/–	
	1401	किराया महसूल कर	100000/–	शून्य	100000/–	
	1601	प्रकाशन एवं मुद्रण	500000/–	412983/–	87017/–	
	2001	आतिथ्य व्यय	300000/–	35405/–	264595/–	
	2002	कान्फ्रन्स कार्यशाला सेमिनार	4600000/–	2769957/–	1830043/–	
	2801	व्यावसायिक और विशेष सेवाएँ	3000000/–	2997612/–	2388/–	
	3101	सहायक अनुदान	200000/–	100000/–	100000/–	

परिशिष्ट – 'ग' कंडिका–4 से सम्बन्धित

राज्य सूचना आयोग, पटना स्थापना अन्तर्गत वर्ष 10–11 एवं 11–12 में कार्यरत/स्वीकृत वल की विवरणी।

क्र0	पदनाम	स्वी0 वल	कार्यरत वल	रिक्त वल	अधिक
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	1	1	0	0
2	राज्य सूचना आयुक्त	4	2	2	
3	सचिव	1	1	0	0.
4	संयुक्त सचिव	1	1	0	0
5	उप सचिव	1	1	0	0
6	अवर सचिव	1	1	0	0
7	विधि पदाधिकारी	1	1	0	0
8	प्रधान आप्त सचिव	5	5	0	0
9	प्रशाखा पदाधिकारी	1	1	0	0
10	सहायक	5	5	0	0
11	निजी सहायक	5	3	2	0.
12	निम्न वर्गीय लिपिक	6	6	0	0
13	आशु लिपिक	3	3	0	0
14	ट्रेजरी सरकार	1	1	0	0
15	कम्प्यूटर ऑपरेटर	10	10	0	0
16	ड्राइवर	4	4	0	0
17	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	15	14	1	

रिक्त बल को भरने हेतु प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

परिशिष्ट 'घ' कंडिका–7 से सम्बन्धित।

वायुयान किराया प्रतिपूर्ति राशि का विवरणी।

क्र0	वि0सं0 तिथि	नाम	अवधि	प्रतिपूर्ति कुल राशि	वायुयान यात्रा के लिए किराये की राशि
1.	21जी / 10–11 26.5.10 (एल0टी0सी0)	श्री अशोक कुमार चौधरी (मु0 सु0 आ0)	10.5.10 से 15.5.10	69315.00	59386.00
2.	30जी / 10–11 7.7.10 (एल0टी0सी0)	,,	5.6.10 से 26.6.10	93053.00	80170.00
3.	44जी / 10–11 13.8.10 (एल0टी0सी0)	,,	30.7.10 से 2.8.10	35756.00	35756.00
4.	66जी / 10–11 28.10.11 (एल0टी0सी0)	,,	7.10.10 से 8.10.10	90,892.00	80582.00
5.	87जी / 10–11 14.1.11 (एल0टी0सी0)	,,	23.12.10 से 30.12.10	138694.00	138694.00
6.	100जी0 / 10–11 24.3.11 (एल0टी0सी0	,,	5.3.11 से 11.3.11	53033.00	36556.00

7.	8जी 11–12 26.4.11 (एल0टी0सी0)	,,	8.4.11 से 17.4.11	199184.00	193804.00
8.	16 जी011–12 9.5.11 (यात्रा)	,,	19.4.11 से 21.4.11	37720.00	37200.00
9.	27जी011–12 24.6.11 (एल0टी0सी0	,,	4.6.11 से 13.6.11	69458.00	43778.00
10.	35जी011–12 15.7.11 (यात्रा)	,,	2.7.11 से 4. 7.11	37180.00	36530.00
11.	39जी0 11–12 23.7.11 (यात्रा)	,,	14.7.11 से 15.7.11	6873.00	6618.00
12.	56जी0 11–12 19.11.11 (यात्रा)	,,	13.10.11 से 16.10.11	37790.00	36750.00
					785824.00
13.	57जी0 11–12 19.11.11 (एल0टी0सी0)	,,	29.9.11 से 9.10.11	136845.00	119978.00
14.	62(जी0 11–12 17.12.11 (यात्रा)	,,	25.11.11 से 27.11.11	37712.00	37192.00
15.	67जी 11–12 16.2.12 (एल0टी0सी0)	,,	26.1.12 से 27.1.12	37853.00	37853.00

16.	55जी 11–12 28.9.10 (यात्रा)	श्री पी0एन0 नारायण सु0आ0	12.9.10 से 14.9.10	29319.00	28799.00
17.	113/10–11 24.9.10 (यात्रा)	श्री वि0वि0 पाण्डे सचिव	12.9.10 से 15.9.10	14181.00	13116.00
18.	148/10–11 26.11.10 (यात्रा)	,,	9.11.10 से 10.11.10	29403.00	28583.00
					1051345.00

परिशिष्ट 'ड़' कंडिका 9 से सम्बन्धित।

अप्रस्तुत यात्रा भत्ता की कार्यालय प्रति का विवरणी।

क्र0	वि0सं0 भुगतान तिथि	श्राशि
1.	20 (G)10–11 20.5.10	3479.00
2.	27 (G)10–11 8.6.10	6198.00
3.	29 (G)10–11 7.7.10	62583.00
4.	38 (G)10–11 13.7.10	90867.00
5.	56 (G)10–11 1.10.10	6176.00
6.	57 (G)10–11 1.10.10	29299.00
7.	63 (G)10–11 9.10.10	1000.00
8.	80 (G)10–11 18.12.10	37476.00
9.	88 (G)10–11 14.1.11	26468.00
10.	95 (G)10–11 9.2.11	37358.00

11.	9 (G)11–12 28.4.11	14957.00
12.	28 (G)11–12 5.7.11	150,000.00
13.	38 (G)11–12 23.7.11	44285.00
14.	46 (G)11–12 9.8.11	2645.00
	कुल –	**512791.00**